DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

www.delhi.nbt.in । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 17 जनवरी 2024
मोहन गार्डन। अर्जुन नगर। छतरपुर। शिवालिक। घोंडा। गुरु नानक नगर। मीरा बाग। खेल गांव

-----DATED----------

एकता अपार्टमेंट: रीडिवेलपमेंट में आ रहीं कई तरह की चुनौतियां

मास्टर प्लान-2041 से अधिक फायदा नहीं होगा

NBT कायापलट

घर वही, सूरत नई

रीडिवेलपमेंट सीरीज के तहत मालवीय नगर के एकता अपार्टमेंट के लोगों की जरूरतों को एनबीटी ने अपनी इस सीरीज में प्रमुखता से प्रकाशित किया। एक्सपर्ट के अनुसार मालवीय नगर में बने यह फ्लैट्स जिस समय बने थे यह डीडीए के बेहतरीन फ्लैट्स में थे। इनकी चर्चा उस समय उसी तरह थी जिस समय आज डीडीए के द्वारका में बने पेंटहाउस की हो रही है।

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

एकता अपार्टमेंट को उस समय डीडीए ने प्राइवेट आर्किटेक्ट की मदद लेकर डिजाइन करवाया था। अब क्योंकि यह निर्माण करीब 50 साल पुराने हो गए हैं, लोगों की जरूरतें बदल चुकी हैं इसलिए इसे रीडिवेलप करने की जरूरत भी उसी अनुपात में बढ़ गई है।

मास्टर प्लान-2041 का इंतजार करने का फायदा नहीं: एक्सपर्ट के अनुसार मास्टर प्लान-2041 के नोटिफाई होने के इंतजार का इन्हें अधिक फायदा नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में बहुत अधिक बदलाव नहीं है। इसलिए इन्हें रीडिवेलपमेंट के लिए पहल शुरू कर देनी चाहिए। टीओडी कंपोजिट डिवेलपमेंट है, रेजिडेंशल के लिए नहीं है। एक्सपर्ट के लिए टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट) पॉलिसी 14 जुलाई 2015 को नोटिफाई हो चुकी है। अब यह मास्टर प्लान का ही हिस्सा है। सबसे पहले तो यह समझें कि टीओडी कंपोजिट डिवेलपमेंट है। वह आरडब्ल्यूए के लिए नहीं है। टीओडी के लिए न्यूनतम एरिया एक हेक्टेयर होना चाहिए। टीओडी में इन्हें 400 FAR तक मिल जाएगी, लेकिन यह इसे लेकर करेंगे क्या? 400 FAR लेना भी आरडब्ल्यूए के लिए काफी मुश्किल होगा। इनमें 400 FAR मिल भी जाती है तो इन्हें और मैम्बर को एनरोल करना होगा। यह इनके लिए बड़ा सिरदर्द होगा।

रीडिवेलपमेंट के लिए प्लान तैयार करके MCD के पास जाना चाहिए

Photos: Surender Kumar

कैसे हो सकता है रीडिवेलमेंट: मास्टर प्लान-2021 में रीडिवेलपमेंट का विकल्प इनके लिए उपलब्ध है। यह लो डेनसिटी अपार्टमेंट है जिसमें FAR 70 से 80 है। रीडिवेलमेंट में इन्हें 200 FAR तक मिल जाएगा। इसमें यह पांच से छह मंजिल तक बना सकते हैं। यानी ढाई गुना तक अधिक FAR का विकल्प इनके पास है। इसकी प्रक्रिया यही है कि आर्किटेक्ट की मदद से एक रीडिवेलपमेंट प्लान बनाए। इस प्लान में आरडब्ल्यूए के सभी सदस्यों का रेजाल्यूशन भी शामिल हो। इस प्लान को एमसीडी में सबमिट करें। डीडीए से भी इसके लिए अप्रूवल लेनी होगी क्योंकि जमीन डीडीए की है। हालांकि यह काम एमसीडी ही करेगी। अधिक कांप्लिकेटेड प्लान को बनाने की बजाय इन्हें इस प्लान पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ड्रेनेज के लिए वह डीजेबी और एमसीडी की मदद ले सकते हैं।

रीडिवेलपमेंट के लिए हैं कई विकल्प: डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए के जैन के अनुसार इनके पास रीडिवेलपमेंट के विकल्प उपलब्ध हैं। इन्हें मास्टर प्लान-2041 के नोटिफाई होने के बाद भी बहुत अधिक विकल्प नहीं मिलने वाले। यह लगभग साफ है कि उसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं है। टीओडी भी इनके लिए एक जटिल प्रक्रिया होगी। 400 FAR आरडब्ल्यूए को मिलने में कई पच फंसेंगे।

RWA के ये हैं तर्क

RWA के प्रेजिडेंट जी.एल. वर्मा ने बताया कि DDA ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे उसे लाभ हो। टीओडी के समय भी उसने न्यूनतम एरिया आठ हेक्टेयर का तय किया था। पब्लिक हियरिंग के दौरान जब उन्होंने डीडीए से तर्क किया कि आठ हेक्टेयर का एरिया किस डीडीए हाउसिंग स्कीम में है, तब जाकर इसे कम कर एक हेक्टेयर किया गया। इसी तरह ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में वह अपने सुझाव व आपत्तियां डीडीए को दे चुके हैं। उम्मीद है कि इन्हें मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्ट्स की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सब्जेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times NEW DELHI WEDNESDAY JANUARY 17, 2024

Leopard sighting in Bawana keeps forest officials on their toes

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi forest and wildlife department on Tuesday said it has begun patrolling Bawana after residents claimed they spotted a leopard in the area.

Police said a resident of Sector 3 called the police control room on Monday evening, claiming he saw a leopard chasing a nilgai into a forested patch in the vicinity. "Our teams reached the spot and the forest department was also called in," said deputy commissioner of police (outer north) Ravi Singh.

A senior forest department official said a team was deployed on Tuesday morning to regularly patrol the area, but said that they are yet to find any evidence of the big cat in the locality.

"Following the call on Monday evening, our team reached Bawana, but nothing was spotted there, including any possible pugmarks. However, as a precautionary measure, a team will continue to monitor and patrol the area," the forest official said, on condition of anonymity.

Praveen Rana, 32, the resident who made the call about the leopard sighting, said he saw the animal in his three-acre farm patch, adding that the leopard has not been spotted since.

The sighting could have been of a leopard moving along the Yamuna floodplains, possibly coming from as far as the Rajaji National Park in the Shivaliks, experts said. "Leopards are a highly adaptable species and can survive even in dense urban environments. They simply need tall grass to hide," said Faiyaz Khudsar, scientist in-charge of DDA's Biodiversity Parks programme.

The possible sighting comes almost a month after a sub-adult leopard was found dead at Alipur in north Delhi after it was hit by a vehicle on NH-44. The incident occurred on December 12, but the forest department, just a day earlier, had received a call regarding a leopard sighting in Burari — around 4km from the spot.

WELL SPOTTED

Over the last few weeks, there have been several leopard sightings across Delhi

The forest department is yet to find evidence of the fresh sighting. HT ARCHIVE

December 12: Leopard found dead at Alipur in north Delhi after a vehicle hit it on NH-44.

December 11: The forest department got a call about a leopard sighting in Burari — 4km from where a leopard was found dead on December 12.

December 2: Leopard sighted multiple times in Sainik Farms.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS 17 जनवरी • 2024 राष्ट्रीय सहारा

जल भराव व सीवेज जाम के मामले में मुख्य सचिव व वित्त सचिव हाईकोर्ट में तलब

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने बारिश के कारण कई आवासीय इलाकों में पानी भरने व सीवेज जाम मामले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और वित्त सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा है कि राजधानी में जलभराव की समस्या से कैसे निपटते हैं और क्या जल निकासी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण कई आवासीय इलाकों में सीवेज का बैकफ्लो हो जाता है। दिल्ली में बरसाती पानी की नालियों को सीवेज ले जाने वाले नालों से अलग नहीं किया गया है। यह सामान्य ज्ञान का मामला है कि नालियां आम तौर पर गाद से भरी होती हैं।

- सुनवाई की अगली तारीख (30 जनवरी) पर पेश होने का निर्देश
- कहा, संक्षिप्त नोट भी हो, जिसमें बताएं कि जलभराव से कैसे निपटेंगे

नालियों को उचित गहराई व ऊंचाई को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। अधिकांश नालियां एकीकृत नहीं हैं और जगह-जगह से टूटी हुई है।

पीठ ने इसे देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव को मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही उनसे एक संक्षिप्त नोट पेश करने को कहा है जो बताए कि वे जलभराव की समस्या से कैसे निपटना चाहते है। क्या जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया गया है और क्या इसे लागू किया जा रहा है। पीठ ने यह निर्देश जलभराव की समस्या और वर्षा जल संचयन तथा मानसून और अन्य अवधियों के दौरान राजधानी में यातायात की स्थिति को आसान बनाने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान से शुरू की गई दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार ने कोर्ट को बताया कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीजेबी), डीडीए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस और शहर स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। इसमें शामिल अन्य प्राधिकरण खाद्य और आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), बीएसईएस, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) हैं।

त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एकीकृत जल निकासी प्रबंधन सेल की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख से पहले एकीकृत नाली प्रबंधन सेल की बैठक बुलाने को कहा। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि डीजेबी की कई परियोजनाएं पैसे के अभाव में लंबित है। उसका भुगतान वित्त विभाग नहीं कर रहा है, जबकि स्थिति बहुत गंभीर है। सीवेज से पानी बह रहा है। वकील ने कहा कि हालांकि धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, लेकिन उन्हें डीजेबी को जारी नहीं किया गया है। इससे हर दिन स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि धन की कमी के कारण सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।